जयपुर विकास प्राधिकरण का कार्यकारी समिति की 123वीं बैठक दिनांक 18.12.2007 में लिये गये निर्णय/सुझाव का विवरण ।

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	123.1	कार्यकारी समिति की 122 वीं बैठक दिनांक 19.11.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से पारित किया गया एवं अगली मीटिंग से पूर्व सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ई.सी. की मीटिंग की पालना रिपोर्ट सचिव महोदय को भेजने के निर्देश दिये गये।		
2	123.2	बेलदारों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/हैल्पर के पद पर पद परिवर्तन किये जाने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में निदेशक (वित्त) से परीक्षण कराकर पुनः आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
3	123.3	हाथोज विस्तार योजना के भूखण्ड सं. डी-139 में राशि देरी से जमा कराने हेतु अनुमोदन बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विलम्ब की अवधि का औचित्य नहीं दर्शाया गया है। अतः प्रकरण निरस्त किया जाता है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जविप्रा की योजनाओं में 2 वर्ष से अधिक अवधि निकल जाने के बाद भी राशि जमा नहीं होने वाले भूखण्डों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही अमल में लाने हेतु लिस्ट तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे।	उपायुक्त जोन-12	
4	123.4	Agenda Regarding Approval of tender for the work of P/L/J of lateral sewer line with construction of pre-cast RCC manholes in Sector-29 Airport area Jaipur Pck-01	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Engg. PHE-I/C.E.(PHE) के प्रस्तावानुसार मैसर्स रामदास गुप्ता की टैण्डर दर की राशि Part A 27% Above, and Part B 15% Above G Schedule कुल राशि रू. 3,53,87,301.42 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया हैं ।	Zonal Engg. PHE-I/C.E. (PHE)	
5	123.5	Agenda Regarding Approval of tender for the work of P/L/J of lateral sewer line with construction of pre-cast RCC manholes in Sector-29 Airport area Jaipur Pck-02	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Engg. PHE-I/C.E.(PHE) के प्रस्तावानुसार मैसर्स रघुवीर शरण गुप्ता की टैण्डर दर की राशि Part A 27% Above, and Part B 15% Above G Schedule कुल राशि रू. 2,73,76,379.55 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया हैं ।	Zonal Engg. PHE-I/C.E. (PHE)	
6	123.6	Agenda Regarding Approval of tender for the work of P/L/J of lateral sewer line with construction of pre-cast RCC manholes in Sector-29 Airport area Jaipur Pck-03	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Engg. PHE-I/C.E.(PHE) के प्रस्तावानुसार मैसर्स रघुवीर शरण गुप्ता की टैण्डर दर की राशि Part A 23.69% Above, and Part B 20.00% Above G Schedule कुल राशि रू. 3,17,66,469.54 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया हैं ।	Zonal Engg. PHE-I/C.E. (PHE)	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)					
7	123.7	Agenda Regarding Approval of tender for the work of Improvement & widening of sirsi road from C-Zone byepass to khatipura Junction and Queens road Jauction to Hasanpura ROB, Zone-7, JDA, Jaipur".	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से Zonal Engg.-7 के प्रस्तावानुसार मैसर्स बी.पी. मोदी की टैण्डर दर की राशि 21.51% Above कुल राशि रू. 5,38,76,806.00 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया हैं ।	Zonal Engg.-7	
8	123.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मोठूकावास तहसील आमेर के खसरा नम्बर 28 व 30 कुल किता 2 कुल रकबा 4.57 हेक्टैयर अर्थात् 45700 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने के सम्बन्ध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम मोठूकावास तहसील आमेर के खसरा नम्बर 28 व 30 कुल किता 2 कुल रकबा 4.57 हेक्टैयर अर्थात् 45700 वर्गमीटर भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली 7680 व.मी. भूमि कम करते हुये शेष 38020 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावें।	उपायुक्त जोन-12	
9	123.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नीदड तहसील आमेर के खसरा नम्बर 174, 178 व 806 (मिन) कुल किता 3 रकबा 11.80 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नीदड तहसील आमेर के खसरा नम्बर 174, 178 व 806 (मिन) कुल किता 3 रकबा 11.80 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावें।	उपायुक्त जोन-12	

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
10	123.10	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम कलवाडा तहसील सॉगानेर के खसरा नम्बर 1009, 2972/1010 कुल किता 2 रकबा 5.60 हेक्टैयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (मैसर्स लोटस एज्यूकेशन सोसायटी)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम कलवाडा तहसील सॉगानेर के खसरा नम्बर 1009, 2972/1010 कुल किता 2 रकबा 5.60 हेक्टैयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक प्रयोजनार्थ या अन्य प्रयोजनार्थ भू-उपयोग उपान्तरण में यह निर्णय लिया गया, कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ में विचाराधीन रिट पिटिशन सं. 1554/04 मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 5.12.07 के सन्दर्भ में राज्य सरकार का एएजी से विधिक राय प्राप्त होने, तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा जेडीए को प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप कार्यवाही अमल में लाई जावें, तब तक जविप्रा अधिनियम की धारा 25(3) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र से अन्य किसी प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी नहीं की जावें, किन्तु पत्रावली की कार्यवाही(Process) जारी रखी जावें।	उपायुक्त जोन-11	
11	123.11	महल योजना में नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. सी-4 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण बाबत। (मै0, प्रवीर कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. सी-4 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण किये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु यह सुनिश्चित किया जावे कि राशि दो वर्ष के भीतर जमा हुई है।	अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
12	123.12	ग्रुप हाउसिंग योजना रातल्या में नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. जीएच-6 (कॉर्नर) की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण बाबत। (मै0, यूनिक डवलपर्स प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. जीएच-6 (कॉर्नर) की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण किये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु यह सुनिश्चित किया जावे कि राशि दो वर्ष के भीतर जमा हुई है।	अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
13	123.13	पत्रकार कॉलोनी (धोलाई) में नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. 81 (कॉर्नर) की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण बाबत। (श्रीमती नमिता सक्सैना)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. 81 (कॉर्नर) की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण किये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु यह सुनिश्चित किया जावे कि राशि दो वर्ष के भीतर जमा हुई है।	अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
14	123.14	सवाई गैटोर योजना में नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. 64 (कॉर्नर) की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण बाबत। (श्री प्रेम कुमार शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. 64 (कॉर्नर) की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण किये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु यह सुनिश्चित किया जावे कि राशि दो वर्ष के भीतर जमा हुई है।	अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
15	123.15	आर्यन एन्क्लेव योजना में नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. सी-76 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण बाबत। (श्री भारतेन्दु गुप्ता)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. सी-76 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण किये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु यह सुनिश्चित किया जावे कि राशि दो वर्ष के भीतर जमा हुई है।	अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
16	123.16	पत्रकार कॉलोनी (धोलाई) में नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. ए-5 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण बाबत। (श्री ऋतुराज शर्मा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से नीलामी से क्रय किया गया भूखण्ड सं. ए-5 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण किये जाने का निर्णय लिया गया, किन्तु यह सुनिश्चित किया जावे कि राशि दो वर्ष के भीतर जमा हुई है।	अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	
17	123.17	महल योजना में नीलामी से क्रय किया गया बहुउद्देशीय व्यावसायिक भूखण्ड सं. सी-1 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से नीलामी से क्रय किया गया बहुउद्देशीय व्यावसायिक भूखण्ड सं. सी-1 की राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितकरण किये जाने का निर्णय लिया गया। राशि दो वर्ष से अधिक देरी से जमा होने के कारण राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति हेतु भेजा जावे।	अति.निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
18	123.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम हाथोज तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 251/611 रकबा 1 बीघा [illegible] बिस्वा अर्थात् 4806 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प एवं वाणिज्यिक) किये जाने के सम्बन्ध में। (श्री प्रकाश चन्द विजयवर्गीय)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम हाथोज तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 254/611 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा अर्थात् 4806 वर्गमीटर भूमि में से सडक सीमा में निहित होने वाली 1476 व.मी. व प्लांटेशन कोरीडोर में 330 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 3000 व.मी. (1575 व.मी. वाणिज्यिक पेट्रोल पम्प एवं 1425 व.मी. वाणज्यिक) का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावें।	उपायुक्त जोन-12	
19	123.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मदाउ तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 330, 331 किता 2 रकबा 0.48 हेक्टैयर का आवासीय से संस्थानिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम मदाउ तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 330, 331 किता 2 रकबा 0.48 हेक्टैयर का आवासीय से संस्थानिक प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावें।	उपायुक्त जोन-11	
20	123.20	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम चांदावास तहसील फागी के खसरा नम्बर 154, 278 से 282 कुल किता 6 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ उपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (श्रीमती अजय)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम चांदावास तहसील फागी के खसरा नम्बर 154, 278 से 282 कुल किता 6 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ उपान्तरण या अन्य प्रयोजनार्थ भू-उपयोग उपान्तरण में यह निर्णय लिया गया, कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ में विचाराधीन रिट पिटिशन सं. 1564/04 में जारी स्थगन आदेश दिनांक 5.12.07 के सन्दर्भ में राज्य सरकार का एएजी से विधिक राय प्राप्त होने, तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा जेडीए को प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप कार्यवाही अमल में लाई जावें, तब तक जविप्रा अधिनियम की धारा 25(3) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र से अन्य किसी प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अधिसूचना जारी नहीं की जावें, किन्तु पत्रावली की कार्यवाही(Process) जारी रखी जावें।	उपायुक्त जोन-11	
21	123.21	सभी राशि के कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित जोनल अभियन्ता द्वारा जारी करने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पी.डब्ल्यू. डी. राजस्थान के आदेश कमांक डी-134 दिनांक 11.07.03 की भांति कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (जोनल अभियन्ता) को दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	सर्किल अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक निदेशक (अभियान्त्रिकी)	
22	123.22	रेलवे ओवर ब्रिज जगतपुरा एवं 200 फीट महल रोड से प्रभावित अनुमोदित/गैर अनुमोदित योजनाओं/ रेलवे की भूमि पर निर्मित दुकानो, मकानों एवं बेसमेन्ट के हितधारकों के पुर्नवास बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से उपायुक्त जोन-9 से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-9	
23	123.23	200 फीट एयरपोर्ट रोड निर्माण में बाधा के रूप में आ रहे स्ट्रक्चरों के हितधारकों के पुर्नवास बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से उपायुक्त जोन-9 से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-9	
24	123.24	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित सहकारी मित्र गृ.नि.स.स. की योजना पृथ्वीराज नगर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 42-43 क्षेत्रफल 700 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) किये जाने के संबंध में। (श्री रमेश सिंह पवांर)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित सहकारी मित्र गृ. नि.स.स. की योजना पृथ्वीराज नगर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 42-43 क्षेत्रफल 700 वर्ग गज में से 100' सडक में आने वाली भूमि निःशुल्क समर्पण की सहमति की शर्त पर भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) किये जाने का निर्णय लिया गया। बशर्ते कि तत्पश्चात् बचा ऐरिया पेट्रोल पम्प के नॉमर्स के अनुरूप हो।	उपायुक्त जोन-5	

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
25	123.25	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित अपोलो गृ.नि.स.स. की योजना लाल बहादुर नगर के भूखण्ड संख्या पी–18 क्षेत्रफल 480 वर्ग गज का भू–उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (पोल्याका एस्टेट प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा द्वारा अनुमोदित अपोलो गृ.नि.स.स. की योजना लाल बहादुर नगर के भूखण्ड संख्या पी–18 क्षेत्रफल 480 वर्ग गज भू–उपयोग का प्रकरण राज्य सरकार की नीति दिनांक 22.10.07 से पूर्व का होने के कारण आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–4	
26	123.26	ग्राम जामडोली तहसील जयपुर में भेड़ व ऊन विभाग की भूमि में से जेनपेक्ट को आवंटित 25 एकड भूमि का भू–उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल से औद्योगिक (सेज) प्रयोजनार्थ किये जाने के सम्बन्ध में। (जेनपेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण इकोलोजिकल क्षेत्र से औद्योगिक (सेज) उपयोग हेतु है। भूमि का आवंटन जविप्रा द्वारा दिनांक 3.8.07 को किया गया है। राज्य सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 5.12.07 के सन्दर्भ में जब तक दिशा निर्देशा प्राप्त नहीं होते, तब तक इकोलोजिकल क्षेत्र से अन्य किसी उपयोग के भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही स्थगित रखी जावें। साथ ही ऐसे प्रकरणों में जिनमें जेडीए द्वारा भूमि आंवटन की गई है, ऐसे प्रकरणों में एएजी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में लाई जावें।	उपायुक्त जोन–10	

सचिव,
जविप्रा, जयपुर

कमांक प–2(ई.सी.)/जविप्रा/उपा./जोन–12/2007/75 दिनांक 3/1/08

प्रतिलिपि निम्न अधिकारीगणों को अवलोकनार्थ एवं सम्बन्धित अधिकारीगणों को अगली मीटिंग से पूर्व पालना रिपोर्ट भेजने हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. महापौर, जयपुर नगर निगम।
3. ज़िला प्रमुख, ज़िला परिषद, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल।
5. शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. जिला कलक्टर, जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
12. पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग, जयपुर।
13. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17. मुख्य अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18. निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

19 निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

20 निदेशक (परियोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

21 निदेशक (आयोजना), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

22 निदेशक (वित्त), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

23 अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/पश्चिम/प्रशासन/एल.पी.सी/भूमि, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

24 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

25 विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)/अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

26 उपायुक्त (समन्वय), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

27 उपायुक्त जोन..........,जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

28 विशेषाधिकारी (जन–सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर